राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 09.08.2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– निजी चिकित्सालयों को कोविड–19 के उपचार के लिए अधिकृत किये जाने बाबत।

संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा आपके जिले में ऐसे गैर सरकारी चिकित्सालय जो आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध है एव अन्य गैर सरकारी अस्पताल जो बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त एवं प्रतिष्ठित है, को कोविड–19 के उपचार हेतु प्रोत्साहित करते हुए चिन्हित करें एवं उनके कोविड–19 के उपचार हेतु आवश्यक सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त संदर्भ में इस सप्ताह मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो क्रान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उक्त संबंध में चर्चा की जावेगी। अतः निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले में ऐसे निजी चिकित्सालय जो आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध है एव अन्य गैर सरकारी अस्पताल जो बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त एवं प्रतिष्ठित है, को चिन्हित कर उनसे दिनांक 11.08.2020 तक कोविड–19 के उपचार हेतु आवश्यक सहमति प्राप्त कर विभाग की ई–मेल आई डी dsmedicalgroup2@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव